न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 01/2010

दायर दिनांकः 21.06.2010

निर्णय दिनांक 12.12.2025

—: अनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती संजुदेवी पत्नी श्री अंजनी कुमार चाण्डक निवासी कांकरोली, प्रो0 गजानन ऑटो पार्टस, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
2. आयुक्त नगर पालिका राजसमन्द

—— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1— श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2— श्री सम्पतलाल लडढा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 19.04.2010 में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि **" यदि प्रकरण धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम रेफरेन्स योग्य है तो प्रकरण का सम्पूर्ण अध्ययन कर पुनः परीक्षण कर माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस हेतु प्रस्तुत किया जावें"। तथा उक्त संबंध में द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसके प्रकरण संख्या अपील/एलआर/4028/2010/राजसमन्द होकर उसके निर्णय दिनांक 05.01.2012 में माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय को यथावत रखा गया।**

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल लडढा तथा विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीगर उपस्थित हुए।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्रावली सिधे बहस हेतु नियत की गयी तथा तहसीलदार राजसमन्द से मौके व रेकार्ड की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 का प्रस्तुत किया। जिस पर बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं तथा प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर किया जाता हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम धोईन्दा के खसरा संख्या 613 व 1469 रकबा 01–08 बीघा भूमि बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित थी। जिसके संवत 2030 में वक्त सेटलमेन्ट आराजी संख्या 407, रकबा 0–18 बीघा किस्म नहरी प्रथम, 00–15 बीघा, बीड प्रथम, 00–02 बीघा व खडा 00–01 बीघा तथा आराजी संख्या 3583/472 रकबा 0–19 बीघा किस्म बंजड श्री नाथूलाल पिता चम्पालाल ब्राहम्ण निवासी कांकरोली के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि में से ख0नं0 407 रकबा 00.18 बीघा भूमि मि0नं0 36/64 से नियमन पर जरिये ना0स0 566 दिनांक 14.08.1957 से श्री नाथूलाल पिता चंपालाल ब्राहम्ण के नाम पर जमाबंदी सम्वत् 2018–21 में दर्ज की गयी। भू–प्रबंध विभाग के खसरा–पत्रक सम्वत् 2021 के अनुसार ख0नं0 407 रकबा 00.18 बीघा गत भू–माप के ख0नं0 613 रकबा 00.12 बीघा किस्म नदी व ख0नं0 1469 रकबा 00.16 बीघा किस्म नदी के बने नये नम्बरों से बना हैं और ख0नं0 613 व ख0नं0 1469 मेवाड़ सेटलमेंट में किस्म नदी बिलानाम गैर मुमकीन अंकित थे। ख0नं0 407 रकबा 00.18 बीघा भूमि विरासत से जरिये ना0स0 1140 से श्री मोहनलाल पिता श्री चम्पालाल ब्राहम्ण के नाम पर अंकित हुई और श्री मोहनलाल ब्राहम्ण के द्वारा समर्पण किये जाने से जरिये ना0स0 2133 दिनांकः 01.09.2003 के द्वारा बिलानाम सरकार नगर पालिका, राजसमंद के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि गत सेटलमेंट व मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान किस्म नदी बिलानाम गैर मुमकीन अंकित भूमि थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धोईन्दा के आराजी संख्या 407 रकबा 0–18 बीघा किस्म नहरी प्रथम, 00–15 बीघा, बीड प्रथम, 00–02 बीघा व खडा 00–01 बीघा भूमि विपक्षीगणो के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार राजसमन्द की वर्तमान मौका रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी को नदी का पेटा नहीं माना गया है। इस आदेश की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के यहां भी की गयी, जो दिनांक 25.8.2005 को खारिज की गयी। राजस्व ग्राम धोइन्दा के साबिक आराजी नं. 613 रकबा 12 बिस्वा व आराजी नं. 1469 रकबा 16 बिस्वा बाद सेटलमेन्ट नये नम्बर 407 व 3583/472 बने तथा यह आराजी नम्बर सन 1923 में राजस्व रेकर्ड में खालसा गैर मकबूजा काबिल काश्त बंजर दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड से भी स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर नदी के रूप में कभी नहीं रहे है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में किस्म नदी दर्ज कर दी गयी। वादग्रस्त जायदाद आबादी क्षेत्र में होकर नगर

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

पालिका क्षेत्र में स्थित हैं, मौके पर काफी मकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं, प्रार्थना पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया गया है तथा यह प्रार्थना पत्र निजी व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं, ऐसी स्थिति में धारा 88 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह प्रावधान केवल राज्य के विरूद्ध ही लागू होते हैं। विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का सदभाविक क्रेता हैं, तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड देखकर ही आराजी सं. 407 व 410 में से रकबा 18 विस्वा विक्रय पत्र में बताये पड़ौसो मध्य की कृषि भूमि की खरीद कर उसको नियमानुसार रूपान्तरण करवा कर एवं स्वीकृति प्राप्त कर भवन निर्माण करवाया हैं। और यह सारी कार्यवाही विपक्षी सं. 1 द्वारा की गयी। जिसकी जानकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं नगर पालिका, राजसमन्द को थी, एवं इनके द्वारा ही रूपान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा की गयी। जिन्होंने राजस्व रेकर्ड देखकर ही रूपान्तरण की कार्यवाही की हैं। प्रार्थी ने राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के तहत प्रस्तुत करके ग्राम धोइन्दा की आ0नं0 407 भूमि को विपक्षी के नाम है निरस्त कर बिलानाम सरकार दर्ज कराने की याचना की है। धारा 88 आर0एल0एक्ट के तहत प्रस्तुत कार्यवाही कानूनी इस से नहीं चल सकती है। सैटलमेन्ट के समय से खातेदारी अधिकार दिए गए। संवत 2030 में वक्त सैटलमेन्ट ख0नं0 407, 3583/472 नाथूलाल पिता चंपालाल जी ब्राह्मण निवासी कांकरोली के नाम दर्ज की गईं। उक्त भूमि में मि0नं0 36/64 से नियमन कर जरिये ना0सं0 566/14.08.1957 है श्री नाथूलाल पिता चंपालाल ब्राहम्ण के नाम पर संवत 2018–21 में दर्ज की गई। आ0नं0 407 विरासत से मोहनलाल पिता चंपालाल के नाम दर्ज हुईं। जो समर्पण से ना0स0 2133 दिनांक 01.09.2003 को बिलानाम सरकार अकिंत हुई। निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उक्त भूमि का पटटा विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी किया गया। जो दिनांक 03.03.2003 को जारी हुआ एवं विपक्षी सं0 1 को दिनांक 01.07.2003 को निर्माण स्वीकृति जारी की गई। अर्थात आ0नं0 407 कृषि भूमि नहीं रही है। पटटा संख्या 667/2003 विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी होने पर रमेशचंद्र नामक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर साहब (आप न्यायालय) के यहां अपील संख्या 01/2003 रमेशचंद्र बनाम मोहनलाल प्रस्तुत की जो दिनांक 25.08.2003 की खारिज की गई, जिसमें आप न्यायालय ने 2022 से 2025 के बाद के भू प्रबन्धन द्वारा अभिलेख मौके की स्थिति अनुसार तैयार कराना माना। इस आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील प्रस्तुत हुई जो 25.08.2005 को खारिज हुई। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं है तथा धारा 88 आर0एल0आर0 एक्ट के तहत उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जा सकती है, जहॉ विवादित भूमि कृषि भूमि हो। मामले में स्वीकृत रुपेण आप न्यायालय 2003 में भी आबादी भूमि होना मान चुके है, तथा यह कार्यवाही 17.08.2007 को प्रस्तुत की गई है। उस दिन भी यह भूमि कृषि भूमि नहीं थी, लिहाजा धारा 88 आर0एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही बोर्ड बाई ला है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह प्रकरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत दर्ज किया गया है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 का उदरहण निम्न प्रकार हैं।

समस्त सड़कें आदि तथा समस्त भूमियाँ, जो दूसरों की सम्पत्ति नहीं है, राज्य की है–

(1) समस्त सार्वजनिक सड़कें, गलियाँ, रास्ते, पुल और खाइयाँ उन पर उनके पास बनाई गई डोलियाँ, समस्त नदियाँ, स्त्रोत, नाले, झीलें और तालाब, समस्त नहरें और जलमार्ग, समस्त स्थिर और प्रवाहित जल और समस्त भूमियां चाहे कहीं भी स्थित हों जो व्यक्तिगत अथवा विधिपूर्वक सम्पत्ति के धारण करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्पत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ तक ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की संस्थाओं का उनमें अथवा उन पर कोई अधिकार स्थापित किया जा सकता है तथा सिवाय इसके कि उस समय लागू किसी विधि में अन्यथा उपबन्धित किया गया हो और उनमें या उन पर या उनसे सम्बन्धित अधिकारों की घोषणा की गई हो, राज्य सरकार की सम्पत्ति होंगी और आयुक्त के आदेशों, के अधीन जिलाधीश के लिए विद्यमान जनता के अथवा व्यक्तियों के रास्तों के अधिकारों तथा समस्त अन्य अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विहित तरीके से उसकी व्यवस्था करना विधिसंगत होगा।

(2) जहाँ कोई सम्पत्ति या किसी सम्पत्ति में या उस पर अधिकार का राज्य द्वारा या राज्य की ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के विरुद्ध जहाँ कोई सम्पत्ति या किसी सम्पत्ति में या उसमें अधिकार का दावा किया जाये तो जिलाधीश के लिए उसकी औपचारिक जाँच के पश्चात, जिसकी यथोचित सूचना दे दी गई हो, उस दावे का निर्णय करते हुए आदेश पारित करना विधि संगत होगा।

(3) उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (2) के अन्तर्गत दिये गये आदेश की तारीख से या यदि ऐसे आदेशों के विरुद्ध एक या एक से अधिक अपीलें अन्दर मियाद की जा चुकी हों तो अन्तिम अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया मुकदमा, यदि वह किसी ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है या यदि चाही गई सहायता (Relief) ऐसे आदेश के विरुद्ध है, खारिज कर दिया जाएगा, चाहे उसमें मियाद की आपत्ति बचाव के रूप में नहीं ली गई हो, किन्तु उप–धारा (2) में दिए गए आदेशों की स्थिति में वादी को ऐसे आदेश का समुचित नोटिस दिया गया था।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को इस धारा के अन्तर्गत जाँच या आदेश से सूचित समझा जायेगा, यदि उसको इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नोटिस दे दिया गया था।

(5) उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (2) के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश जिलाधीश द्वारा विहित रीति से प्रवर्तनीय होगा।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.12.2004 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि इस प्रकार की भूमि इस प्रकरण में सम्मिलित है और उस पर निजी खातेदारी दर्ज हैं। तो उक्त कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित हैं। ऐसे मामले चिन्हित कर खातेदारी दिये जाने सम्बन्धि कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 (2) अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त करने की कार्यवाही करें तथा जिन प्रकरणों को राजस्व मण्डल में रेफरेन्स किये जाने हैं उनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स करें। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 व 4 की पालना के संबंध में कार्य योजना बनाने के संदर्भ में माननीय सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा जारी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में हम यह देखते है कि यह प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के तहत निर्णित नही किया जा सकता हैं। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा विधिक त्रुटि की गई हैं।

अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों का सम्पूर्ण परिक्षण कर उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को भिजवाई जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद